



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 571]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2013—पौष 2, शक 1935

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

क्र. 1620-रास-यूए-5-2013.—जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा की उपधारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम, 1964 की कंडिका 11 (4) बी में निम्नानुसार संशोधन किये जाने हेतु दिनांक 20 दिसम्बर 2013 को अनुमोदन प्रदान किया है:—

The “Teachers” as defined under section 2 (x) of the Act and Statute 32 shall be superannuated on attaining the age of 65 (sixty five) years.

कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.